फर्द अहकाम

____

______________ बनाम ______________

संख्या /वर्ष : ______________ /20 ______

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित है पत्रावली वास्ते बहस हेतु 18.7.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
18.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप. है बहस प्रा. पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 20.7.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
20.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप. है बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.8.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
4.8.22	पत्रावली पेश आई। पक्षकारान वकील उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान पर गौर किया व प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो रामविलास पुत्र कानाराम के दो पुत्र होने से प्रार्थी एवं स्व. रामस्वरूप प्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/4 [illegible] व प्रार्थी संख्या 5 [illegible] बचपन में ही श्यामलाल [illegible] चले गये इसलिए उसका प्राकृतिक पिता रामनिवास की [illegible] परिवार से सम्बन्ध समाप्त हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		गया इसलिए उसका रामनिवास की सम्पत्ति में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं रहा एवं इसके पिता श्योनारायण के परिवार से सम्बन्ध जुड़ा था और श्योनारायण पुत्र भूधा द्वारा छोड़ी हुई भूमि का वारिस बना श्योनारायण पुत्र भूधा की जो कृषि भूमि थी रामअवतार स्व. श्योनारायण के गोद चले जाने के कारण उसकी खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तरण श्री रामअवतार के हक में भर गया। जो जमाबन्दी सम्वत 2067 से स्पष्ट है। किन्तु रामनिवास की स्वर्गवास के पश्चात रामनिवास द्वारा छोड़ी हुई भूमि का विरासत का नामान्तरण क्यारी नं. 1/1, 1/4, 1/6 के पिता व क्यारी संख्या 1/5 की पाती स्व. रामअवतार ने अपने नाम अपने भाई मूलचन्द के साथ में दर्ज करा लिया जबकि उसमें क्यारी मूलचन्द नाम की दर्ज किया जाना था। जो जमाबन्दी सम्वत 2055-2058 से स्पष्ट है। रामनिवास की सम्पत्ति में रामअवतार द्वारा अपना नाम गलत अंकित करवा लिया गया। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। क्यारी रामनिवास द्वारा छोड़ी गई भूमि पर काबिज काश्त है। रामअवतार के वारिसान का गलत इन्द्राज होने के कारण रामनिवास की छोड़ी हुई भूमि को अपनी खातेदारी भूमि बताकर [illegible] बेचान करना चाहते हैं तथा खुर्द बुर्द करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसी [illegible] अन्य भूमि जो छोड़ी [illegible] उसका भी नामान्तरण [illegible] वारिसान के नाम दर्ज [illegible] कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रामअवतार श्योनारायण के गोद चले जाने के कारण रामनिवास द्वारा छोड़ी गई भूमि पर इसके वारिसान का भी समाप्त हो गया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] / [illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

...नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	हक व हकूक समाप्त हो जाने के कारण रामअवतार के वारिसान को राजनिवास की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की पाबन्द करने से क्षति नहीं होगी। इस प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में तीनों प्रकार से साबित होने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः प्रार्थनापत्र 212 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के ताफैसला बाद स्थगन आदेश दिनांक 14.3.2022 का कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner